गलती वही करता है जो मेहनत करना जनता है, खाली लोगों की जिंदगी दुसरो को ताने मारने में चली जाती है।
-अज्ञात

जीने के अधिकार की रक्षा

अभूतपूर्व चुनौतियों से भरे इस दौर में शासन के विभिन्न अंगों के नेक इरादों पर पूरा भरोसा जताते हुए भी यह कहना जरूरी है कि वे समझदारी के साथ-साथ संयम का भी दामन थामे रहते हुए आगे बढ़ें।

शांति शाह।।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर जो तीखी टिप्पणी की है, उसे संदर्भ से काटकर नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने पहले दो फेज में स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने और बाद में 18–44 वर्ष उम्र समूह के लोगों से टीके की कीमत चुकाने के लिए कहने की नीति को पहली नजर में मनमाना और बेतुका बताया है। इतना ही नहीं, उसने वैक्सिनेशन की कथित लिबरलाइज्ड पॉलिसी के विभिन्न पहलुओं की विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया। यह भी कहा कि सरकार उठाए गए सवालों की रोशनी में टीकाकरण नीति की फिर से समीक्षा करे और दो हफ्ते में हलफनामा दायर कर अदालत को उसमें किए गए बदलावों की विस्तार से जानकारी दे। शीर्ष अदालत के इस कड़े रुख के पीछे निश्चित रूप से देश में पिछले कुछ समय से टीकाकरण को लेकर देखी जा रही अनिश्चितता और अव्यवस्था की स्थिति का भी हाथ है। न केवल टीके की अलग-अलग कीमतों को लेकर राज्य सरकारें केंद्र से शिकायत करती रही हैं बल्कि टीके की सप्लाई को लेकर भी अनिश्चितता का आलम रहा।

कई राज्यों में बहुत सारे टीका केंद्र तात्कालिक तौर पर बंद करने पड़े तो कई जगह से लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी बिना टीका लगवाए वापस लौटने की नौबत आई। ऐसी शिकायतें भी मिलीं कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों को टीके की सप्लाई हो रही है, लेकिन राज्य सरकारों को उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही। इन्हीं स्थितियों के मद्देनजर अदालत ने अपने इस आदेश में स्पष्ट किया है कि संविधान में शक्ति और अधिकारों का बंटवारा किए जाने का मतलब यह नहीं है कि जब कार्यपालिका की नीतियों की वजह से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो न्यायपालिका मूकदर्शक बनी रहेगी। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया था कि कार्यपालिका की समझ पर भरोसा करते हुए कोर्ट को नीतियां निर्धारित करने का काम उस पर छोड़ देना चाहिए। अदालत ने उस संदर्भ में कहा कि न्यायिक समीक्षा के तहत उसका काम यह देखना है कि बनाई गई नीतियां संविधान द्वारा तय मानकों के अनुरूप हैं या नहीं और लोगों के जीने के अधिकार की रक्षा करती हैं या नहीं।

बहरहाल, अभूतपूर्व चुनौतियों से भरे इस दौर में शासन के विभिन्न अंगों के नेक इरादों पर पूरा भरोसा जताते हुए भी यह कहना जरूरी है कि वे समझदारी के साथ-साथ संयम का भी दामन थामे रहते हुए आगे बढ़ें। जरा सी भी गलतफहमी उनसे ऐसी गलतियां करवा सकती है, जिसकी देशवासियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक-दूसरे के साथ सहयोग और सामंजस्य बनाए रखते हुए और हर कदम पर अपनी गलतियां दुरुस्त करते हुए ही हम इस कठिन दौर से निकल सकते हैं।

समाज का आईना

अशोक वोहरा।

संस्कारों के प्रमुख प्रकार सोलह बताए गए हैं जिनका पालन करना हर हिंदू का कर्तव्य है। इन संस्कारों के नाम है–गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, सम्वर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। प्रत्येक हिन्दू को उक्त संस्कार को अच्छे से नियमपूर्वक करना चाहिए। यह मनुष्य के सभ्य और हिन्दू होने की निशानी है। उक्त संस्कारों को वैदिक नियमों के द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए। वेदो, उपनिषद या गीता का पाठ करना या सुनना प्रत्येक हिन्दू का कर्तव्य है। उपनिषद और गीता का स्वयंम अध्ययन करना और उसकी बातों की किसी जिज्ञासु के समक्ष चर्चा करना पुण्य का कार्य है, लेकिन किसी बहसकर्ता या भ्रमित व्यक्ति के समक्ष वेद वचनों को कहना निषेध माना जाता है।

संपादकीय

इंतजार करने के मूड में

कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम सीनियर नेताओं ने यही कहा कि जनसंख्या नियंत्रण हमेशा से सरकारों और राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में रहा है। जाहिर है, इस दिशा में उठाए गए कदम अनावश्क विवाद पैदा नहीं करेंगे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस मसले पर दो कदम आगे बढ़कर अपने कार्यकाल में बनी कमिटी का हवाला दे सकती है। 1991 में सीनियर कांग्रेस नेता के करुणाकरण के नेतृत्व में एक कमिटी बनी थी जिसने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कई सुझाव दिए थे। उसमें जनप्रतिनिधियों के लिए यह शर्त अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा गया था कि उनके दो से अधिक बच्चे नहीं हों। मोदी सरकार ने भी कानून मंत्रालय को इस दिशा में बेहतर कानून के विकल्प तलाशने को कहा है। दरअसल हाल के वर्षों में बीजेपी अपनी राजनीतिक पैंतरेबाजी से अक्सर विपक्ष को शिकस्त देती रही है। कई बार मोदी सरकार ने इस तरह चौंकाया कि विपक्ष को तैयारी तक करने का मौका नहीं मिला। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विपक्ष की संतुलित प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि वह अपनी तरफ से कुछ करके बीजेपी को मौका देने के बजाय इस बार उसके खुद अपनी चाल में फंसने का इंतजार करना चाहेगा।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की कवायद भले ही नए सिरे से तेज हो रही हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह मुद्दा बीजेपी के अजेंडे में बना रहा है।

पहले से हो रही थी तैयारी

नरेंद्र नाथ।।

इन दिनों यूपी सहित कई बीजेपी शासित राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कानून बनाने की कवायद की जा रही है। संसद के मॉनसून सत्र में कुछ बीजेपी सांसद इस संबंध में निजी विधेयक भी लाने की तैयारी में हैं। बीजेपी इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठा रही है। हालांकि अधिकतर विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर अब तक उदासीन रुख ही बनाए रखा है। दरअसल, यह मुद्दा बीजेपी के अगले अजेंडे की ओर इशारा करता है। धारा 370 और राम मंदिर के मुद्दे के समाप्त होने के बाद यह ऐसा मसला है, जिस पर सालों से बात हो रही है। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा मुद्दा संवेदनशील है और बीजेपी के लिए इसमें आगे कई तरह की उलझनें सामने आ सकती हैं।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की कवायद भले ही नए सिरे से तेज हो रही हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह मुद्दा बीजेपी के अजेंडे में बना रहा है। सरकार के स्तर पर देखें तो पिछले साल नीति आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में रोडमैप तैयार करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें अगले 15 सालों में जनसंख्या को किस तरह नियंत्रण में रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। इसके बाद से नीति आयोग ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं

है। किसी न किसी रूप में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को और प्रभावी बनाने के सवाल पर इसका मंथन जारी है।

2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से कई मौकों पर यह संदेश दिया गया कि जनसंख्या नियंत्रण और दो बच्चों के परिवार पर नियम के संबंध में सरकार और बीजेपी अब गंभीर हो चुकी है। साल 2019 में ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक मंच पर जनसंख्या नियंत्रण को देशभक्ति से जोड़ा था। तब पीएम मोदी ने कहा था, 'हमारे यहां जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, वह आने वाली पीढ़ी के लिए संकट पैदा करता है। लेकिन यह भी मानना होगा कि देश में एक जागरूक वर्ग भी है, जो इस बात को अच्छे से समझता है। ये लोग अभिनंदन के पात्र हैं। ये लोग एक तरह से देशभक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं।' इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दो बच्चों का मसला उठाया था। संघ प्रमुख के इस बारे में बयान देने से बहस तेज हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि वह कानून की बात नहीं कर रहे।

वैसे बीजेपी को यह भी पता है कि जनसंख्या नियंत्रण का मसला उतना सहज नहीं, जितना दूर से दिखता है। अभी उत्तर प्रदेश में कानून बनने की कवायद शुरू हुई तो इसके एक प्रावधान पर सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद की ओर से ही आपत्ति आई। ऐसे में सरकार और बीजेपी को इस पर व्यापक सहमति बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। सरकार के आंकड़े भी इस बात को साबित करते हैं कि यह मसला धर्म से अधिक गरीबी और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में अलग-अलग कल्याणकारी नीतियों की मदद से गरीबों में अपनी पैठ बढ़ाई है। वह नहीं चाहेगी कि हड़बड़ी में कोई ऐसा कदम उठा ले, जिससे इस मजबूत वोट बैंक पर किसी तरह की आंच आए। जाहिर है, तमाम पहलुओं को देखते हुए ही वह आगे बढ़ना चाहेगी।

दूसरी ओर विपक्षी दलों को आभास हो चुका है कि यह एक ऐसी सियासी पिच है, जिस पर वह बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसीलिए अधिकतर विपक्षी दल इस मुद्दे को इग्नोर कर रहे हैं।

सूडोकु नवताल- 5205

कठिन

	8			6				
					5			
		9				7		3
	1			8				2
			7		4			
6				3			8	
5		7				4		
			8					
				1			6	

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5204 का हल

9	4	5	3	1	8	7	6	2
1	8	6	7	2	5	4	9	3
2	7	3	9	4	6	8	1	5
6	3	9	1	7	4	2	5	8
5	2	4	8	9	3	6	7	1
7	1	8	6	5	2	9	3	4
4	6	7	5	8	1	3	2	9
8	9	1	2	3	7	5	4	6
3	5	2	4	6	9	1	8	7

अपना ब्लॉग

मानव संसाधन का विकास

मोहन। कुशलकर्मी की आवश्यकता कहां नहीं है? चाहे वह घरेलू कामकाज के लिए हो या फिर दफ्तर के काम के लिए, कल-कारखानों के लिए हो या खेत-खलिहान के लिए। कारखानों को जिस तरह कच्चा माल और बिजली-पानी जैसी आधारभूत संरचना की जरूरत होती है, उसी तरह उसे कुशलकर्मी भी चाहिए होते हैं। हर सरकार मानव संसाधन का विकास कर देश को प्रगति एवं विकास के पथ पर बढ़ाने की मंशा रखती है।

भारत का सौभाग्य है कि उसकी अधिसंख्य आबादी अभी युवा है। आंकड़े बताते हैं कि देश की 62 फीसदी से अधिक आबादी 15 से 59 आयु वर्ग की है। यही वह उम्र है ,जब व्यक्ति में काम करने की ऊर्जा होती है और वह रोजगार में लगा होता है। विश्व स्तर पर देखें तो यूरोपीय देशों से लेकर अमेरिका तक की अधिसंख्य आबादी उम्रदराज हो चुकी है। चीन का भी यही हाल है। ऐसे में दुनिया को यदि श्रमशील आबादी की जरूरत होगी तो उन्हें भारत की तरफ ही देखना पड़ेगा।